न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 3158 सन 2026
CNR. No.UPSP010074602026

नीरज गुजराल उर्फ मोनू गुजराल पुत्र अश्वनी गुजराल, निवासी मौहल्ला जाफरानावाज निकट नागपाल आटा चक्की, थाना कोतवाली नगर, जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 164/2026
धारा 308(6) बी.एन.एस
थाना कोतवाली नगर, जिला सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

20.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **नीरज गुजराल उर्फ मोनू गुजराल** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 10.07.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ गौतम गुजराल पुत्र नीरज गुजराल का शपथपत्र दाखिल किया गया हैं, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में वर्तमान में अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना एवं केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी पंकज अरोडा द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर दी गयी है कि वादी ने रविकुमार से एक मकान नम्बर–03/7867 स्थित न्यू रिवर बैंक कालोनी बेरी बाग में अंकन 14 लाख रूपये में खरीदने का सौदा दिनांक 16.11.2024 को किया था, जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा 4,72,000/–रूपये रविकुमार कोहली को एग्रीमेन्ट पर अदा कर दिए थे। उक्त एग्रीमेन्ट दिनांक 16.11.2024 को ही पंजीकृत हुआ था, और बैनामे की मियाद दिनांक 13.10.2025 को तय करा दी थी। रविकुमार कोहली ने दिनांक 07.05.2025 को पारिवारीक कलेश के चलते जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। रवि कोहली की मृत्यु के बाद वादी के पास विपक्षी नीरज गुजराल आया, और उसने वादी को डराया व धमकाया व वादी से कहा कि वादी उसे पांच लाख रूपये दे नही तो वो वादी के विरूद्ध रवि कोहली की हत्या का फर्जी मुकदमा सपना कोहली से करा देगा। वादी ने उसे पैसे देने से मना किया और कहा कि उसने तो मकान खरीदने का सौदा रवि कोहली से किया था और रजि0 एग्रीमेंट भी करा रखा है। रवि कोहली की मृत्यु के बाद उसके वारिसान बैनामा कराने को पाबन्द हैं। नीरज गुजराल की भाभी के खाते में ऑन लाइन 10 हजार रूपये भी दिए। रवि कोहली की मृत्यु के बाबत फर्जी मुकदमा वादी के विरूद्ध थाना जनकपुरी पर दर्ज कराने के लिए प्रार्थनापत्र दिया। थाने वालो को सारी बात का पता चला तो थोन वालो ने धारा 506 भा.दं.सं में मुकदमा दर्ज कर लिया। विपक्षी नीरज गुजराल ने उसके बाद फिर से हत्या के मुकदमें में फसाने का भय दिखाकर फिर से पांच लाख रूपये की मांग की, जिसके लिए वादी ने मना किया तो उसने दिनांक 24.08.2025 को घटना बनाकर वादी व स्वामी तुली के विरूद्ध झूठा मुकदमा थाना कोतवाली नगर पर दर्ज करा दिया। वादी ने हत्या के मुकदमे से डर कर विपक्षी नीरज गुजराल को दिनांक 29.098.2025 को 35 हजार रूपये व दिनांक 06.09.2025 को 27 हजार रूपये दिए, परन्तु विपक्षी वादी एवं वादी के परिवार को हत्या एवं बलात्कार के झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भिजवाने की साजिश कर रहा है, और वादी से

लगातार पांच लाख रूपये की रंगदारी मांगी जा रही है। दिनांक 06.02.2026 को वादी को पुरानी चुंगी से बेहट रोड की ओर जाते हुए, नीरज गुजराल ने रोक लिया और धमकाया, जिसके बाद वादी ने उसे दस हजार रूपये दिए। इस तरह विपक्षी द्वारा वादी को प्रताडित किया जा रहा है। अतः कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि वह निर्दोष हैं, उसे इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। वादी ब्याज दर पर लोगो को पैसे देने का कार्य करता है। सपना कोहली के पति रवि कोहली द्वारा उससे पैसा उधार लिया गया था, जिसकी एवज में वादी ने उसके मकान का एग्रीमेंट सिक्योरिटी के रूप में अपने नाम कराया था। मकान की कीमत ज्यादा थी। बाद में वादी ने पैसे लेने से मना कर दिया था, और कहा था कि वह तो मकान का ही बैनामा करायेगा। इसी मानसिक उत्पीडन व मकान हडप जाने की आशंका के कारण रवि कोहली द्वारा जहर खाकर आत्म हत्या कर ली थी, जिसके संबंध में उसकी पत्नी सपना कोहली द्वारा मु0अ0सं0–163/2025 थाना जनकपुरी पर लिखा गया, जो विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा इस संबंध में व्यापारी साथी होने के कारण वादी को समझाया था, परन्तु वादी नही माना, और इसी कारण सपना कोहली के मामले में फैसला कराने के लिए वादी व उसके साथी द्वारा प्रार्थी के साथ गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके संबंध मं प्रार्थी द्वारा मु0अ0सं0–178/2025 थाना कोतवाली नगर पर वादीपक्ष के विरूद्ध दर्ज कराया, जिसमें आरोप पत्र आ चुका है। उपरोक्त मुकदमें को वापस लेने का दबाव बनाने के लिए ही वादी द्वाा कानूनी मशवरे से झूठी घटना व कहानी बनाते हुए, अंतिम घटना दिनांकित 06.02.2026 को पांच माह दिन के बाद झूठा लिखाया गया है। प्रार्थी की भाभी के खाते में दस हजार रूपये डालना लिखा गया है। प्रार्थी का अपनी भाभी व भाई वादी/पंकज से कोई संबंध नही है। प्रार्थी का रहन–सहन व व्यापार भी अलग है। प्रार्थी अन्य सभी मुकदमों में जमानत पर है। प्रार्थी दिनांक 10.07.2026 से जेल में है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करत हुए, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की है।

थाने से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा वादी को झूठे मुकदमों में फंसाने का भय दिखाकर वादी से अवैध धन वसूली किए जाने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। कथित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 10.07.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। थाने से प्राप्त आपराधिक इतिहास में दर्शित अन्य सभी मुकदमों में आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत पर होने का कथन किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **नीरज गुजराल उर्फ मोनू गुजराल** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 25,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर, उसे निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाए।

1. मामले के प्रत्येक सुनवाई पर आवेदक/अभियुक्त स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

2. आवेदक/अभियुक्त, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर आवेदक/अभियुक्त कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

4. आवेदक/अभियुक्त साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाए।

दिनांकः–20.07.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891